::: निविदा की शर्तें :::

1. प्रत्येक निविदा सीलबंद लिफाफे में होनी चाहिए। निविदा लिफाफे पर निविदाकार को अपना सेल टैक्स नम्बर अंकित करना होगा तथा स्पष्ट रूप से लिखना होगा, कि कौन- कौन से सामग्री हेतु क्रय की जा रही है। एक में प्रतिभूति तथा दूसरे में निविदा सीलबंद लिफाफे में डालें।

2. सील बंद लिफाफे के साथ प्रत्येक निविदाकार को विक्रयकर निष्कासन प्रमाण पत्र तथा वाणिज्यिक कर विभाग का जीवित पंजीकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3. प्रत्येक निविदाकार को आधार कार्ड, GST प्रमाण पत्र एवं पेन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4. प्रत्येक निविदाकार को निविदा के साथ क्रय मूल्य का 03 प्रतिशत सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा। यह सुरक्षा निधि सफल निविदाकार की रोक कर असफल निविदाकार की राशि 15 दिवस में लौटा दी जायेगी। प्रदेश के लघु एवं कुटीर उद्योग विभाग से पंजीकृत हैं तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन्हे सुरक्षा निधि जमा करने की छूट दी जायेगी। इन इकाईयों द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र टेण्डर के साथ देने पर छूट दी जायेगी।

5. सुरक्षा निधि नगद स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदाकार को सुरक्षा निधि चालान से लेखा शीर्ष 8443 सिविल जमा राशि 103–प्रतिभूति जमा शासकीय खजाने में/उप खजाने में या बैंक की किसी भी शाखा में जहां शासकीय नगद लेन–देन का कारोबार होता है में जमा कर चालान की मूल पावती प्रस्तुत करना होगा अथवा निविदाकार चाहे तो भारतीय स्टेट बैंक, अनुसूचित बैंकों को FDR के द्वारा ही जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर के नाम से प्लेज हो सुरक्षा निधि जमा किया जा सकता है।

6. सामग्री प्रदायगी आदेश के 03 दिवस अन्दर सामग्री प्रदाय करना होगा, यदि 03 दिवस के अन्दर सामग्री प्रदाय न हुआ तो प्रदायकर्ता को किसी भी प्रकार का नोटिस दिये बगैर तत्काल सामग्री बाजार से क्रय कर लिया जायेगा एवं शासन की हानि की पूर्ति के लिए संबंधित व्यापारी की धरोहर की राशि से काट ली जायेगी तथा निविदाकार एवं उसकी फर्म इस संस्था द्वारा निविदा के लिए अपात्र घोषित किया जावेगा।

7. जेल अधीक्षक, क्रय समिति की अनुशंसा पर क्रय हेतु बाध्य नहीं है। निविदाओं के परीक्षण पश्चात् यदि वह क्रय समिति की अनुशंसाओं से संतुष्ट है तो क्रय की अनुमति दे सकता है, यदि वह संतुष्ट नहीं है तो निविदाओं को निरस्त कर सकता है। जेल अधीक्षक यह भी देखेगा कि किसी फर्जी फर्म के द्वारा निविदा तो प्रस्तुत नहीं की गई है, जिस फर्म के द्वारा निविदा दी गई है के बारे में यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास कार्य ज्ञान है, वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ है। भण्डारण की उसके पास पर्याप्त व्यवस्था है। वह चाहे तो निरीक्षण भी कर सकता है इस आशय की शर्त करारनामा में जोड़ी जा सकती है। वस्तु इस शर्त पर क्रय की जायेगी कि उनका प्रदायकर्ता विभाग द्वारा निधारित सील पर प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय किया जायेगा।

8. निविदायें दिनांक–15/07/2022 प्रातः 11:00 बजे तक जेल गेट बाक्स/पंजीकृत डाक से स्वीकार की जावेगी। निविदायें कार्यालयीन समय में केवल कार्यालय में ही ग्रहण की जावेगी। वे किसी अधिकारी/कर्मचारी के निवास स्थान पर ग्रहण नहीं की जावेगी।

9. निविदा उपस्थित निविदाकार या उसके प्रतिनिधियों एवं क्रय समिति के प्रतिनिधियों एवं क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक– 15/07/2022 को दोपहर 12:00 बजे खोली जावेगी। अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने के समय में परिवर्तन भी किया जा सकता है।

10. छत्तीसगढ़, शासन वित्त तथा योजना विभाग मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के पत्र कमांक 136 ए/वित्त/ब–4/2012 दिनांक 05.05.2012 के अनुसार देयकों के भुगतान पर निर्धारित वेट टैक्स काटकर शेष राशि का भुगतान किया जावेगा।

11. निविदाकार को सामग्री का प्रदाय जेल गेट पर स्वयं के खर्चे से करना होगा। सामग्री का परीक्षण जेल गेट पर किया जायेगा। निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप सामग्री नहीं पाये जाने पर अस्वीकृत सामग्री तुंरत वापस ले जाना होगा।

12. निविदाकार या उनके प्रतिनिधि को माल प्रदाय करते समय माल के साथ आना होगा। जब भी आवश्यकता महसूस होगी माल को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा जा सकता है। इस प्रकार भेजे गये माल का भुगतान परीक्षण रिपोर्ट में मापदण्ड के अनुरूप सही स्तर पर नहीं पाया गया तो इस संस्था के द्वारा निविदाकार एवं उनके फर्म को निविदा के लिए अपात्र घोषित किया जावेगा।

Con 02

13. समस्त पूर्तियां जेल द्वार पर ही स्वीकृत होगी।

14. निविदा विहित फर्म की प्रति एवं निविदा से संबंधित जानकारी रूपये 1000/– का भुगतान करने पर कार्यालय जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर से कार्यालयीन समय पर निविदा दिनांक– 15/07/2022 के एक दिन पूर्व तक प्राप्त की जा सकती है।

15. वस्तुओं की मात्रा अनुमानित है एवं उससे अधिक या कम करने का अधिकार जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर का होगा।

16. समस्त निविदाओं के लिए जेल अधीक्षक (अध्यक्ष) का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

17. शासकीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाली सामग्री निविदाओं से क्रय नहीं की जावेगी।

18. प्रत्येक निविदाकारों को वस्तु का भाव अंकों एवं शब्दों में लिखना होगा। काट–पीट एवं ऊपरी लेखन मान्य नहीं होगा। वस्तु का वास्तविक मूल्य ही अंकित किया जाये।

19. निविदाकार की कोई शर्त स्वीकार नहीं की जावेगी।

20. निविदाकार का व्यापारिक संस्था कहां स्थित है का स्पष्ट पता जहां से विभिन्न स्थानों पर वस्तुओं का प्रदाय करेगा, जिससे क्रय अधिकारी व्यापारिक संस्थान का निरीक्षण कर सके।

जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर